



Neutral Citation: 2026:ACH:35426

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2324 वर्ष 2026

कांस्टेबल सी.पी. विजेन्द्र सिंह तथा 6 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : ओम प्रकाश

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. याचिकाकर्तागण का अभ्यावेदन यह है कि उन्हें भारतीय सेना में सैनिक के रूप में क्रमशः दिनांक 02.11.2003, 13.09.2001, 22.05.2003, 25.08.1996, 12.07.2000, 09.02.2002 तथा 01.03.2002 को नामांकित किया गया था। तत्पश्चात उन्हें क्रमशः दिनांक 31.01.2020, 30.09.2018, 30.11.2019, 01.09.2018, 01.06.2017, 28.02.2019 तथा 31.05.2019 को सेवा से मुक्त किया गया। इसके उपरांत, कांस्टेबल पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में याचिकाकर्ता संख्या-1 से 6 को दिनांक 02.06.2021 को तथा याचिकाकर्ता संख्या-7 को दिनांक 07.09.2021 को पुनः नियुक्त किया गया। याचिकाकर्तागण द्वारा पूर्व में भारतीय सेना में की गई सेवाओं के आधार पर वेतन संरक्षण प्रदान किए जाने हेतु रिट - ए संख्या - 19517 वर्ष 2022 प्रस्तुत की गई थी, जिसका निस्तारण दावा विचारार्थ निर्देशित करते हुए किया गया था। उक्त दावे को दिनांक 21.02.2023 को डी.आई.जी. स्थापना, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को दिनांक 23.12.2020 के शासनादेश के उपरांत प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था। याचिकाकर्तागण के विद्वान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय रिट - ए संख्या - 10689 वर्ष 2024 (सीता राम शर्मा तथा 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य) पर भरोसा व्यक्त किया, जिसमें शासनादेश दिनांक 23.12.2020 में निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि के संबंध में वर्गीकरण को असंगत ठहराया गया है। यह भी अभिवेदित किया गया कि विशेष अपील संख्या - 1233 वर्ष 2025 (उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य बनाम विनय तथा 3 अन्य) में राज्य सरकार की अपील निरस्त किए जाने के कारण विषय वस्तु आवृत्त हो चुकी है।

3. पूर्वोक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

4. राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव ने निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण सीता राम शर्मा (पूर्वोक्त) के निर्णय से आच्छादित है, जिसे विशेष अपीलीय पीठ द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

5. न्यायालय द्वारा बार में प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्तागण भूतपूर्व सैनिक हैं, जिन्हें नियुक्त किया गया है। **सीता राम शर्मा (पूर्वोक्त)** के निर्णय में निम्नलिखित कहा गया है:-

"1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत उक्त रिट याचिकाओं के माध्यम से, वे याचिकाकर्ता जो वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस में कांस्टेबल जी.डी. के पद पर चयनित हुए थे, इस आधार पर व्यथित हैं कि प्रत्यर्थीगण द्वारा भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें भूतपूर्व सैनिक के रूप में अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। सभी याचिकाकर्ता भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में चयनित एवं नियुक्त हुए थे और उनका यह कहना है कि यदि एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न समयों पर चार बैचों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है, तो राज्य द्वारा प्रथम बैच को वेतन संरक्षण देना तथा अन्य बैचों को केवल इस आधार पर वंचित करना कि शासनादेश के अनुसार एक निश्चित तिथि के पश्चात वेतन संरक्षण नहीं दिया जाएगा, न्यायोचित नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. यह अभिवेदित किया गया कि चयन के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना था, किन्तु कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2020 के आदेश द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को चार बैचों में विभाजित कर विभिन्न तिथियों पर प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। प्रथम बैच को अगस्त 2020 में छह माह की अवधि के लिए भेजा गया, द्वितीय बैच को मार्च 2021 में छह माह की अवधि के लिए भेजा गया, तृतीय बैच को अक्टूबर 2021 में तथा चतुर्थ एवं अंतिम बैच को मई 2022 में छह माह की अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।

4. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्हें द्वितीय बैच में मार्च 2021 से सितंबर 2021 तक प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। प्रथम बैच के अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्ति आदेश शासनादेश दिनांक 23 दिसंबर 2020 से पूर्व जारी हो गए थे, जबकि उक्त शासनादेश के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। शासनादेश के प्रासंगिक अनुच्छेद-22 का उल्लेख निम्नवत् है:-"

"उपरोक्त प्रस्तर-1 में विनिर्दिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन किए जाने की दशा में उनके वेतन निर्धारण के संबंध में राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

(1) सेना से सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का राज्य सरकार की सेवा में पुनर्नियोजन होने पर उन्हें उस पद के वेतनमान में ही वेतन ग्राह्य होगा जिस पद पर उनका पुनर्नियोजन हुआ है। सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद के वेतनमान का संरक्षण नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसे पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनर जिनकी पूरी पेंशन वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षणीय है, का वेतन पुनर्नियोजन के पद के वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा।

(3) ऐसे प्रकरण जिनमें वेतन निर्धारण हेतु पूरी पेंशन उपेक्षणीय नहीं है, उनमें पुनर्नियोजन पर प्रारंभिक वेतन सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त वेतन के प्रक्रम पर निर्धारित किया जाएगा, परंतु-

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) यदि पुनर्नियोजन के पद के वेतनमान में ऐसा प्रक्रम उपलब्ध नहीं है, तो उक्त प्रक्रम के ठीक नीचे वाले प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जाएगा।

(ii) यदि पुनर्नियोजन के पद के वेतनमान का अधिकतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित वेतन से कम है, तो पुनर्नियोजन के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन निर्धारित किया जाएगा।

(iii) यदि पुनर्नियोजन के पद के वेतनमान का न्यूनतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित अंतिम वेतन से अधिक है, तो वेतन निर्धारण पुनर्नियोजन के पद के न्यूनतम पर किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित होने वाले वेतन में से, सैन्य सेवा से प्राप्त पेंशन का वह भाग जो उपेक्षणीय नहीं है, घटा दिया जाएगा।

(4) राज्य सरकार की सेवा में पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनर उपरोक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अपनी पूरी पेंशन अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ सहित आहरित करते रहेंगे।

4- उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे, अर्थात् शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा उसके उपरांत राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरण इन आदेशों से आच्छादित होंगे। शासनादेश की तिथि के पूर्व राज्य सरकार की सेवा में पुनर्नियोजित हो चुके सैन्य पेंशनरों के प्रकरण पुनरुद्घाटित नहीं किए जाएंगे।”

5. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम बैच ने जनवरी, 2021 में अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया तथा उदाहरण स्वरूप नवचयनित कांस्टेबल कुलदीप सिंह, पी.एन.ओ. संख्या 202641386, दिनांक 24 जनवरी 2024 के वेतन निर्धारण को अभिलेख पर लाया गया है। यह भी तर्क किया गया कि जब प्रथम बैच को उक्त लाभ प्रदान कर दिया गया, तब द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बैच के अभ्यर्थी, जो सभी भूतपूर्व सैनिक थे, को यह लाभ प्रदान नहीं किया गया।

6. पूर्वोक्त कथन रिट याचिका के अनुच्छेद-14 में उल्लिखित हैं, जिसमें अन्य अनेक कांस्टेबलों का विवरण दिया गया है जिन्हें अंतिम आहरित वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया था, जैसा कि वे भूतपूर्व सैनिक होने के नाते दावा कर रहे थे। प्रत्युत्तर में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दाखिल प्रति-हलफनामे के अनुच्छेद-16 में अनुच्छेद-14 के संबंध में इस प्रकार कथन किया गया है:

“कि रिट याचिका के अनुच्छेद-14 की विषय-वस्तु इस सीमा तक स्वीकार की जाती है कि कांस्टेबल कुलदीप सिंह, पी.एन.ओ. संख्या 202641386 को दिनांक 11.10.2020 को पुलिस विभाग में नियुक्ति के समय शासनादेश दिनांक 26.08.1977 एवं 18.05.1983 प्रभावी थे। वर्तमान में भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में शासनादेश दिनांक 23.12.2020 प्रभावी है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, अर्थात् जिन भूतपूर्व सैनिकों की राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति उक्त शासनादेश की निर्गमन तिथि के पश्चात हुई है, वे इसी आदेश से आच्छादित होंगे।”

7. पूर्वोक्त उद्धृत प्रति-हलफनामे के अनुच्छेद-14 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि कुलदीप सिंह को प्रथम बैच में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था, तथापि उन्हें दिनांक 11.10.2020 को नियुक्ति प्रदान की गई थी, उस समय शासनादेश दिनांक 26.08.1977 एवं 18.05.1983 प्रभावी थे, जिसके कारण उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। किन्तु भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में शासनादेश दिनांक 23.12.2020 लागू होने के उपरांत उन्हें पूर्व सेवा के वेतन संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं रहा, परिणामस्वरूप वर्तमान याचिकाकर्तागण को उक्त लाभ प्रदान नहीं किया गया। अतः यह तथ्य निर्विवाद है कि याचिकाकर्तागण को केवल इस आधार पर वेतन संरक्षण से वंचित किया गया कि उनका प्रशिक्षण प्रथम बैच के पश्चात पूर्ण हुआ, जबकि वे भी प्रथम बैच के अभ्यर्थियों के समान प्रशिक्षु थे, जो बाद में कांस्टेबल नियुक्त हुए। सभी नियुक्तियां वर्ष 2018 की एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत की गई थीं, अतः वे वेतन समानता का दावा करते हैं।

8. राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा शासनादेश के आधार पर वेतन संरक्षण से वंचित करने के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम अनिल प्रसाद के निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण का लाभ न देने वाले केंद्रीय नियमों को मान्य ठहराया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि अतः सरकार की कार्यवाही में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती, जिससे उसे मनमाना अथवा भेदभावपूर्ण ठहराया जा सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उक्त निर्णय के अनुच्छेद 4.5 पर विशेष बल दिया गया, जो इस प्रकार है:

“4.5. अतः प्रतिवादी का वेतन निर्धारण शासकीय सेवा में सी.सी.एस. आदेश, 1986 के अनुच्छेद-8 के पूर्णतः अनुरूप था। अनुच्छेद-8 में यह प्रावधान नहीं है कि पुनर्नियुक्ति पर सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों को उसके अंतिम आहरित वेतन के समकक्ष वेतन निर्धारित किया जाएगा। ऐसा मानना अनुच्छेद-8 का उल्लंघन होगा। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा यह कहना कि पुनर्नियुक्ति पर सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों को अंतिम आहरित वेतन का अधिकार होगा, एक गंभीर त्रुटि है। अतः उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थिर है क्योंकि वह सी.सी.एस. आदेश, 1986 के अनुच्छेद-8 के विपरीत है।”

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान याचिका में मूल चुनौती भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियुक्ति पर वेतन संरक्षण से वंचित करने वाले शासनादेश के प्रावधान से अधिक, याचिकाकर्तागण के साथ किए गए भेदभाव से संबंधित है।

10. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मणिलाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के निर्णय पर बल दिया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मात्र इस कारण कि काउंसिलिंग में विलंब हुआ, एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत समान रूप से स्थित अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने उक्त निर्णय के अनुच्छेद-15 पर भरोसा व्यक्त किया, जो इस प्रकार है:

“10. अपीलकर्ता का प्रकरण वस्तुतः राकेश गौर (पूर्वोक्त) के मामले के अधिक समान था, जिन्होंने 05.11.2009 को प्रवेश प्राप्त किया था। इस न्यायालय की स्पष्ट राय है कि इस मामले के विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों में खण्डपीठ द्वारा दिनेश चन्द्र डामोर (पूर्वोक्त) के मामले को लागू करना त्रुटिपूर्ण था तथा इसके स्थान पर अंकुल सिंगल (पूर्वोक्त) तथा राकेश गौर (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित तर्क एवं विधिक सिद्धान्तों को इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू किया जाना चाहिए था। जैसा कि अंकुल सिंगल (पूर्वोक्त) में कहा गया है, समान प्रकृति के एक समरूप समूह के विद्यार्थियों के बीच भेदभाव करना विधि-सम्मत नहीं होगा, जिन्हें शैक्षणिक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सत्र 2009-10 में प्रवेश प्रदान किया गया था। उक्त निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया था कि यह स्वीकार्य नहीं है कि काउंसलिंग के प्रथम चरण में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को, यदि उनके स्नातक में 50% से कम अंक हों, तो भी पात्र माना जाए, जबकि बाद के चरणों में प्रवेश पाने वाले अन्य विद्यार्थियों को उसी आधार पर अपात्र कर दिया जाए। इसी तर्क के आधार पर राकेश गौर (पूर्वोक्त) में राहत प्रदान की गई थी। राकेश गौर (पूर्वोक्त) का मामला वर्तमान अपीलकर्ता की स्थिति से पूर्णतः समान था। इस संदर्भ में यह विधि-सिद्धांत भी लागू होता है कि “जिसके लिए एक के लिए न्यायसंगत है, वही दूसरे के लिए भी न्यायसंगत होना चाहिए” अर्थात् “जो बर्ताव एक के साथ है, वही दूसरे के साथ भी होना चाहिए।”

11. अतः इस याचिका में इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशिक्षण हेतु भिन्न-भिन्न समय पर भेजा गया, उनमें से पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को प्रदान किए गए वेतन संरक्षण के लाभ से याचिकाकर्तागण को वंचित किया जा सकता है, जबकि प्रशिक्षण कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण चार भिन्न बैचों में आयोजित किया गया था। प्रत्यर्थागण की ओर से इस तथ्य का खंडन नहीं किया गया है कि सभी याचिकाकर्तागण, जिन्हें द्वितीय बैच में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, उसी विज्ञापन एवं चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कांस्टेबल (जीडी), उत्तर प्रदेश पुलिस के पद पर चयनित हुए थे। प्रशिक्षण नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया का एक अंग है तथा चयन सूची के प्रकाशन के उपरांत प्रशिक्षण केवल नियुक्ति की औपचारिकता का एक चरण होता है। चयन सूची तैयार हो जाने के पश्चात चयन की कोई अन्य अवस्था शेष नहीं रहती। अतः चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होने के कारण, यदि प्रत्यर्थागण द्वारा प्रशासनिक स्तर पर प्रशिक्षुओं को विभिन्न समूहों एवं बैचों में विभाजित कर अलग-अलग तिथियों पर प्रशिक्षण हेतु भेजा गया तथा प्रशिक्षण पूर्ण होने पर उन्हें नियुक्ति प्रदान की गई, तो सेवा लाभों जैसे वेतनमान, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों के संबंध में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। वरिष्ठता के विषय में भी चयन सूची का ही पालन किया जाना है। मनिलाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य का निर्णय याचिकाकर्तागण के प्रकरण पर पूर्णतः लागू होता है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि समान वर्ग के व्यक्तियों के मध्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



भेदभाव अनुमन्य नहीं है। अतः एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित सभी अभ्यर्थी एक समान वर्ग का गठन करते हैं और उनकी नियुक्ति प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत परिणामी कार्यवाही मात्र है, बशर्ते कि प्रशिक्षण के दौरान वे अयोग्य घोषित न किए जाएं।

12. प्रशिक्षण हेतु विभिन्न समूहों अथवा बैचों के आधार पर किया गया कोई भी वर्गीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा, क्योंकि यह समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों के मध्य उचित वर्गीकरण नहीं माना जा सकता। समानता का स्थापित सिद्धांत यह है कि असमान को समान नहीं माना जा सकता तथा समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है, विशेषतः वेतन समानता एवं सेवा लाभों के संदर्भ में।

13. फिरंगी प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के प्रकरण में इस न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि नियुक्ति प्राधिकारी की त्रुटि के कारण याचिकाकर्ताओं को प्रतिकूल स्थिति में नहीं डाला जा सकता। यद्यपि उक्त प्रकरण नियमितीकरण से संबंधित था, तथापि उसमें यह पाया गया कि नियुक्ति आदेशों में विलंब होने के बावजूद, कट-ऑफ तिथि के पश्चात जारी होने पर भी सभी को समान रूप से नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त निर्णय का अनुसरण महेश नारायण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (निर्णीत दिनांक 19.12.2019) में भी किया गया, जिसमें एक ही विज्ञापन के अंतर्गत चयनित सभी अभ्यर्थियों को एक समान वर्ग मानते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया गया, क्योंकि चयन प्रक्रिया पुरानी पेंशन योजना के समाप्त किए जाने से पूर्व संपन्न हुई थी, यद्यपि नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए गए।

14. पूर्वोक्त विचारों के आलोक में, यद्यपि भूतपूर्व सैनिकों को वेतन संरक्षण से वंचित करने के संबंध में शासनादेश में कोई भेदभावपूर्ण तत्व नहीं पाया जाता, तथापि उक्त शासनादेश केवल उन मामलों पर लागू होगा जहाँ अभ्यर्थियों का चयन उसके निर्गमन के पश्चात हुआ हो। वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण हेतु भेजा गया और जिन्हें अंततः नियुक्ति प्रदान की जानी थी, एक समान वर्ग का गठन करते हैं तथा उन्हें वेतन संरक्षण सहित सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाने के अधिकारी हैं। उनके दावे पर उक्त शासनादेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. जहाँ तक विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय का संबंध है, उसके विधिक प्रतिपादन से कोई विवाद नहीं है, तथापि वर्तमान प्रकरण के विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों में उक्त शासनादेश को निरस्त किए बिना ही यह माना जाता है कि वह वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता।

16. पूर्वोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका सफल होती है तथा स्वीकृत की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या-3 को निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्तागण को अंतिम आहरित वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का वही लाभ प्रदान करें जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अंतर्गत प्रथम बैच के प्रशिक्षुओं को प्रदान किया गया था। इस संबंध में उपयुक्त आदेश पारित कर आवश्यक परिणामी लाभ याचिकाकर्तागण को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिकतम तीस दिवस की अवधि के भीतर प्रदान किए जाएं।

7. आगे, उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य बनाम विनय एवं 3 अन्य (पूर्वोक्त)) में यह कहा गया है:-

“1. अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से श्री मनीष गोयल, विद्वान अपर महाधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री तेज भानु पाण्डेय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा की गई, तथा प्रतिवादियों की ओर से उनके संबंधित अपीलों में श्री आर.के. ओझा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री सत्येन्द्र चन्द्र त्रिपाठी एवं श्री आदित्य प्रकाश वर्मा, विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, को सुना गया।

2. ये समस्त अपीलें माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 09.04.2025 के साझा निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जो रिट - ए संख्या - 10689 वर्ष 2024 (सीता राम शर्मा तथा 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य) सहित संबंधित याचिकाओं में पारित किया गया था, जिसके द्वारा उक्त याचिकाएं स्वीकार की गईं तथा अपीलकर्ता संख्या-3 को निर्देशित किया गया कि याचिकाकर्ताओं को अंतिम आहरित वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करें, जैसा कि प्रथम बैच के प्रशिक्षुओं को प्रदान किया गया था, तथा इस संबंध में उपयुक्त आदेश पारित कर परिणामी लाभ इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिकतम 30 दिवस की अवधि के भीतर प्रदान किए जाएं।”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. अपीलार्थी उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा समस्त अपीलों में समान प्रश्न उठाया गया है, अतः उन्हें एक साथ सुना गया और इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णयित किया जा रहा है। समस्त अपीलों में निहित मूल प्रश्न यह है कि क्या एक ही चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र की तिथि तथा प्रशिक्षण हेतु उल्लिखित तिथि के आधार पर भिन्न वर्ग के रूप में माना जा सकता है। प्रत्येक अपील में अभ्यर्थियों के संबंध में तथ्यात्मक विवरण, जैसे कि उनकी पूर्व सेवा का विवरण, नियुक्ति पत्र की तिथि तथा प्रशिक्षण अवधि हेतु पत्र में उल्लिखित तिथि, भिन्न हो सकते हैं।

4. सुविधा की दृष्टि से तथ्यात्मक विवरण विशेष अपील संख्या 1240 वर्ष 2025 से ग्रहण किए जा रहे हैं, क्योंकि वही विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09.04.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश में प्रमुख याचिका थी, तथापि वर्तमान सामान्य आदेश का परिणाम सभी संबद्धवादों पर लागू होगा। मात्र तथ्यात्मक अंतर संबद्ध अपीलों में प्रत्यर्थागण/अभ्यर्थियों की संख्या का है।

5. विशेष अपीलों के इस समेकित समूह में अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यहां के सभी प्रत्यर्थी भारतीय सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सदस्य हैं, जिन्हें विभिन्न रेजिमेंटों में विभिन्न समयों पर नामांकित किया गया था। यह भी प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रत्यर्थी को उसकी सेवा अवधि पूर्ण होने पर विधिवत् सेवा से मुक्त अथवा सेवानिवृत्त किया गया। यद्यपि उनकी व्यक्तिगत सेवा अवधि में भिन्नता है, तथापि इनवादों में यह सामान्य तथ्य उभर कर आता है कि सभी प्रत्यर्थियों ने अपनी सैन्य सेवा पूर्ण कर विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन प्राप्त किया तथा उसी चयन सूची में अपना स्थान सुनिश्चित किया, जो इन अपीलों के समूह का विषय है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने निवेदन किया कि अक्टूबर 2018 की प्रत्यक्ष भर्ती के अनुसरण में तैयार की गई चयन सूची से नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, क्योंकि प्रशिक्षण उस प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण राज्य के लिए यह आवश्यक हो गया कि चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण चरणबद्ध रूप से कराया जाए, और इसी कारण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विभिन्न प्रशिक्षण चरणों के अनुरूप भिन्न-भिन्न तिथियों पर नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिनांक 25.07.2020 के आदेश से चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु पृथक-पृथक तिथियों एवं अवधियों के लिए चार बैचों में विभाजित किया गया। तत्पश्चात् प्रथम बैच ने अगस्त 2020 में छह माह की अवधि हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ किया, द्वितीय बैच ने मार्च 2021 में छह माह हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ किया, तृतीय बैच ने अक्टूबर 2021 में छह माह हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ किया तथा चतुर्थ बैच ने मई 2022 में छह माह की अवधि हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ किया।

7. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के अनुसार, राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विभिन्न समय पर प्रशिक्षण हेतु निर्धारित भिन्न-भिन्न बैचों के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग वेतन संरचना निर्धारित करे, तथा अपीलार्थी राज्य द्वारा यह भी उचित था कि अन्य बैचों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते समय उन्हें वही वेतन संरक्षण न दिया जाए, जो प्रथम बैच में प्रशिक्षण हेतु गए सदस्यों को प्रदान किया गया था। यह भी निवेदन किया गया कि चयन सूची को प्रत्येक उद्देश्य हेतु समरूप वर्ग नहीं माना जा सकता तथा राज्य द्वारा बाद के तीन बैचों को प्रथम बैच, जिसने अन्य बैचों की अपेक्षा पूर्व में प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया था, से पृथक आधार पर रखना उचित है।

8. यह विवादित नहीं है कि प्रथम बैच, जिसने जनवरी 2021 में अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया, को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि एक ही चयन सूची से चयनित अभ्यर्थियों के विभिन्न बैचों के आधार पर किया गया भिन्न व्यवहार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अनुमेय है, और इस प्रकार राज्य को विभिन्न समय पर प्रशिक्षण प्रारंभ करने वाले चारों बैचों के लिए पृथक वेतन संरचना निर्धारित करने का अधिकार है।

9. अपने निवेदन के समर्थन में, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2015 के नियम 19 पर निर्भरता व्यक्त की है, जिसे सुविधा के लिए निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है:

नियम - 19. प्रशिक्षण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(1) (क) नियम 15 एवं 16 के अंतर्गत कांस्टेबल पदों हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। मूल प्रशिक्षण के दौरान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मैनुअल के प्रावधान अभ्यर्थियों पर लागू होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी, जो मूल प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चयनित है, निर्धारित समयावधि के भीतर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो उसका चयन/अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

(ख) मूल प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पुनः परीक्षण का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा अनुपूरक प्रशिक्षण कराने के पश्चात किया जाएगा। अनुपूरक प्रशिक्षण के पश्चात भी प्रशिक्षण परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) नियम 17 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों को भी विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक होगा।

10. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि कांस्टेबल पद हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित मूल प्रशिक्षण में सम्मिलित होना एवं उसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा उनका चयन निरस्त किया जा सकता है। यह भी निवेदन किया गया कि उक्त नियम प्राधिकारियों को अनुपूरक प्रशिक्षण एवं पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा तत्पश्चात भी अनुत्तीर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए भी प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य है; अतः जब तक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक राज्य को वेतन संरचना में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती।

11. प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद में निवेदन किया कि राज्य की कार्यवाही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थागण वर्ष 2018 में सिविल पुलिस एवं पी.ए.सी. में कांस्टेबल पदों हेतु प्रारंभ की गई भर्ती प्रक्रिया के अनुसरण में चयनित हुए थे तथा मार्च 2020 में घोषित परिणाम में उन्हें विधिवत भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में रखा गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दिनांक 23.12.2020 का शासनादेश, जहां तक यह प्रावधान करता है कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उक्त तिथि के पश्चात की गई सभी नियुक्तियां वेतन संरक्षण की पात्र नहीं होंगी, विधि के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल होने के कारण स्वीकार्य नहीं है, विशेषतः तब जब सभी अभ्यर्थी एक ही चयन सूची में सम्मिलित हों। यह भी निवेदन किया गया कि प्रथम चरण में नियुक्त अभ्यर्थियों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया, जिसे राज्य सरकार द्वारा निरंतर स्वीकार किया गया है।

12. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने मनीलाल बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 2024 एससी 4404 पर भी निर्भरता व्यक्त की तथा प्रस्तुत किया कि एक ही चयन प्रक्रिया के अनुसरण में चयनित सभी अभ्यर्थी एक समरूप वर्ग का गठन करते हैं और ऐसे समरूप वर्ग के भीतर परस्पर भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उन्होंने महेश नारायण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, रिट-ए संख्या 55606 वर्ष 2008, निर्णय दिनांक 19.12.2019, पर भी निर्भरता व्यक्त की। पूर्वोक्त निर्णयों पर आधारित होकर यह तर्क दिया गया कि ऐसा पृथक व्यवहार केवल किसी युक्तिसंगत भेद के आधार पर ही न्यायसंगत ठहराया जा सकता है, जो कि वर्तमान वाद के तथ्यों में विद्यमान नहीं है।

13. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा प्रशिक्षण संबंधी नियम 19, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2015 के संबंध में प्रस्तुत तर्क का भी उत्तर दिया। उनके अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह उचित रूप से अभिलक्षित किया है कि प्रशिक्षण चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक प्रक्रिया है तथा एक बार चयन सूची तैयार हो जाने के पश्चात चयन की कोई अन्य अवस्था शेष नहीं रहती, और अभ्यर्थियों को नियुक्ति के उद्देश्य से प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। उन्होंने आगे नियम 18, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2015 पर भी निर्भरता व्यक्त की, जिसे सुविधा की दृष्टि से निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है:

नियम - 18. नियुक्ति

(1) नियम 15 एवं 16 के उपबंधों के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 15 के खंड (ग) के अंतर्गत तैयार सूची में अभ्यर्थियों के नाम जिस क्रम में हैं, उसी क्रम में नियुक्ति करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को यह निर्देश देते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करेगा कि वे पत्र

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर अथवा नियुक्ति पत्र में इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किसी तिथि पर सेवा/प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसका चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी:

परंतु, जो कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त किया गया है और उस पद पर कार्यरत है, उसे इन नियमों के अधीन विधिवत नियुक्त माना जाएगा।

(2) यदि नियम 17 के अंतर्गत किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश निर्गत किए जाते हैं, तो एक समेकित आदेश भी निर्गत किया जाएगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम उनकी वरिष्ठता के क्रम में उल्लिखित होंगे, जैसा कि चयन में निर्धारित किया गया हो या जिस संवर्ग से उन्हें पदोन्नत किया गया हो:

परंतु, जो कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त किया गया है और उस पद पर कार्यरत है, उसे इन नियमों के अधीन विधिवत नियुक्त माना जाएगा और ऐसी नियुक्ति को इन नियमों के अंतर्गत किया गया माना जाएगा।

14. पूर्वोक्त प्रावधान पर निर्भरता व्यक्त करते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियम 18, नियम 15 एवं 16 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने का प्रावधान करता है, और तत्पश्चात ही नियम 19 ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने की अपेक्षा करता है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि नियमों की संपूर्ण योजना से यह स्पष्ट है कि नियुक्ति पत्र प्रशिक्षण से पूर्व निर्गत होता है, अतः प्रशिक्षण को चयन प्रक्रिया का अंग नहीं माना जा सकता, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही रूप से अभिलक्षित किया गया है, क्योंकि प्रशिक्षण नियुक्ति के पश्चात संपन्न कराया जाता है।

15. हमने अपीलार्थीगण/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष भी सम्मिलित हैं। कुछ मूलभूत तथ्य विवादित नहीं हैं। सभी अभ्यर्थी, चाहे उन्हें पश्चातवर्ती रूप से जिस भी बैच में प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया हो, अक्टूबर 2018 में निर्गत एक ही भर्ती विज्ञापन के अनुसरण में चयनित हुए थे। चयन सूची

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



समान थी, चयन प्रक्रिया एकरूप थी तथा नियुक्तियां उसी एक भर्ती प्रक्रिया से अविच्छिन्न रूप से संबद्ध थीं।

16. अभिलेखों के साधारण अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सभी नियुक्ति पत्र अक्टूबर 2018 की उसी प्रत्यक्ष भर्ती के अनुसरण में की गई नियुक्तियों से संबंधित हैं, जो एक ही विज्ञापन एवं चयन प्रक्रिया से उत्पन्न हुई हैं। यह भी किसी पक्ष का मामला नहीं है कि जिस विज्ञापन के परिणामस्वरूप चयन सूची बनी, उसमें किसी प्रकार का वर्गीकरण अथवा श्रेणीगत भेद निर्दिष्ट किया गया हो। इसके अतिरिक्त, राज्य यह प्रदर्शित करने में असफल रहा है कि प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों को चार भिन्न चरणों में भेजना किसी युक्तिसंगत वर्गीकरण पर आधारित था।

17. पूर्वोक्त विचार-विमर्श के आलोक में, हमारा सुविचारित मत है कि चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षण कराया जाना केवल अपीलार्थी राज्य द्वारा सामना की गई आधारभूत संरचनात्मक सीमाओं तथा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आवश्यक हुआ था, न कि चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मध्य किसी युक्तिसंगत भेद के कारण। अतः बाद के बैचों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को लाभ से वंचित करना स्पष्टतः मनमाना है तथा यह शत्रुतापूर्ण भेदभाव के दोष से ग्रसित है।

18. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के तर्क का संपूर्ण आधार यह है कि चरणबद्ध प्रशिक्षण ने ही चार पृथक श्रेणियां उत्पन्न कर दीं, जिससे राज्य को विभिन्न वेतन संरचनाएं निर्धारित करने तथा बाद के बैचों में सम्मिलित प्रत्यर्थीगण को वेतन संरक्षण से वंचित करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

19. यद्यपि यह न्यायालय महामारी से संबंधित परिस्थितियों एवं आधारभूत संरचनात्मक सीमाओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तथापि ऐसी बाह्य एवं अस्थायी प्रशासनिक बाध्यताएं किसी समरूप वर्ग के अभ्यर्थियों के मध्य भिन्न व्यवहार को न्यायोचित नहीं ठहरा सकतीं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अनुमेय वर्गीकरण के संबंध में विधिक स्थिति सुव्यवस्थित एवं स्थापित है, और जब उसे स्थापित मानकों पर परखा जाता है, तो अपीलार्थी राज्य द्वारा प्रस्तुत औचित्य परीक्षण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) 1 एस.सी.सी. 1 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि वर्गीकरण अस्पष्ट, अनिश्चित अथवा मायावी नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के परीक्षण को संतुष्ट करने हेतु आवश्यक है कि वर्गीकरण किसी तर्कसंगत एवं बोधगम्य विभेदक आधार पर आधारित हो, क्योंकि अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को मनमाने भेदभाव से संरक्षण प्रदान करना है, चाहे वह किसी विधि के स्पष्ट प्रावधानों से उत्पन्न हो या किसी विधि के अनुचित अनुप्रयोग से। किसी भी वर्गीकरण का आधार ऐसा बोधगम्य विभेदक तत्व होना चाहिए, जिसका उस उद्देश्य से तार्किक संबंध (रैशनल नैक्सस) हो जिसे प्राप्त करना अपेक्षित है; अन्यथा ऐसा वर्गीकरण असंवैधानिक एवं अनुचित भेदभाव को जन्म देता है।

21. डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1990) 2 एस.सी.सी. 715 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि एक ही भर्ती अधिसूचना एवं चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी सेवा लाभों के प्रयोजन हेतु एक ही वर्ग का गठन करते हैं। वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जब किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति विधि के अनुसार किसी पद पर हो जाती है, तो उसकी वरिष्ठता की गणना नियुक्ति की तिथि से की जाएगी, न कि उसकी पुष्टि की तिथि से। इस सिद्धांत को लागू करते हुए, प्रशिक्षण की पूर्णता को समान चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मध्य उप-वर्ग निर्मित करने का आधार नहीं माना जा सकता।

22. अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई वैधानिक नियम प्रदर्शित नहीं किया गया है जो राज्य को वेतन निर्धारण अथवा वेतन संरक्षण के उद्देश्य से चयन सूची के भीतर उप-वर्ग बनाने का अधिकार प्रदान करता हो। वास्तव में, राज्य का स्वयं का यह कथन है कि प्रशिक्षण हेतु चरणबद्ध प्रेषण केवल प्रशासनिक आवश्यकता के कारण किया गया था। प्रशासनिक अनिवार्यता, चाहे वह सद्भावना में ही क्यों न हो, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वैध वर्गीकरण के रूप में मान्य नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति को स्वीकार करना राज्य को मनमानी अथवा आकस्मिक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



परिस्थितियों के आधार पर समान अधिकारों का विभाजन करने की अनुमति प्रदान करेगा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार अस्वीकृत किया गया है।

23. अतः विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा यह अभिमत व्यक्त करना पूर्णतः युक्तिसंगत है कि प्रत्यर्थागण तथा अन्य समान रूप से स्थित अभ्यर्थी, जिन्हें अक्टूबर 2018 की समान भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित किया गया था, उन्हें पूर्व में प्रशिक्षण हेतु भेजे गए प्रथम बैच को प्रदान किए गए वेतन संरक्षण एवं सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। संवैधानिक मानकों के स्वतंत्र परीक्षण के उपरांत, इस न्यायालय को विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में कोई त्रुटि दृष्टिगत नहीं होती।

24. पूर्वोक्त कारणों के आधार पर, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी राज्य द्वारा समान चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मध्य केवल प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने की तिथियों के आधार पर किया गया विभेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए एक अवैध वर्गीकरण है।

25. राज्य द्वारा प्रथम बैच को प्रदान किया गया वेतन संरक्षण तथा उससे संबंधित वेतन संरचना का लाभ, उसी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित एवं समान चयन सूची में सम्मिलित द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ बैच के अभ्यर्थियों से रोका नहीं जा सकता।

26. अतः, इस न्यायालय को विद्वान एकल न्यायमूर्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं प्राप्त होता। परिणामस्वरूप, प्रस्तुत विशेष अपीलों का समूह असफल होता है और निरस्त किया जाता है। विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा प्रत्यर्थागण तथा अन्य समान रूप से स्थित अभ्यर्थियों को वेतन संरक्षण एवं परिणामी लाभ प्रदान करने के निर्देश की पुष्टि की जाती है। राज्य इस आदेश की तिथि से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करेगा। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

27. यदि कोई लंबित प्रार्थना-पत्र हों, तो वे भी निस्तारित माने जाएंगे।

8. फलतः, आक्षेपित आदेश दिनांक 21.02.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पुनः प्रेषित किया जाता है, ताकि वह पूर्वोक्त निर्णय के आलोक में दो माह की अवधि के भीतर नवीन आदेश पारित करे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. पूर्वोक्त अभिलेखित टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

फरवरी 17, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”